लय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री आशीष कुमार (आरएएस)

निर्णय

रण सख्या : 22/2019

उनवानः—

रघुनाथ पुत्र पन्ना लाल मेघवाल निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. प्रहलाद
2. देवकीनन्दन
3. हरिओम
4. हेमराज

पुत्रान शिवनारायण जातियान ब्राहमण निवासीगण पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दायरा दिनांकः 26.06.2019 निर्णय दिनांक : 06.08.2019

अधिवक्ता प्रार्थीः— श्री कृष्ण कुमार सोनी

अधिवक्ता अप्रार्थीगण :— श्री मनोज कुमार आर्य

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम पाडलिया मे स्थित आराजी साबिक खसरा नं. 559/3 रकबा 10 बीघा 14 बिश्वा का किमतन आवंटन जर्ये मिश्ल नं. 242 दिनांक 28.06.1981 को चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन तथा बिक्री नियम 9 के अन्तर्गत प्रार्थी को हुआ था। जिस पर उसे दखल दिया जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये थे। तब से प्रार्थी उक्त आराजी पर आज भी काबिज काश्त है। भू प्रबन्ध विभाग ने प्रबन्धन के दौरान साबिक आराजी खसरा नं. 559/3 रकबा 10 बीघा 14 बिश्वा आराजी के नये खसरा नं. 697 रकबा 0.72 है0, खसरा नं. 831 रकबा 0. 80 है0, खसरा नं. 832 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 रकबा 1.69 है0 दर्ज कर रकबा 0.05 है0 कम दर्ज की। प्रार्थी द्वारा आराजी पर काश्त व्यवस्था संभालने के बाद अमृत लाल गूजर निवासी पाडलिया ने एक वाद जर्ये मिश्ल नं. 30/2005 प्रार्थी रघुनाथ मेघवाल निवासी पाडलिया के विरूद्ध किया जिसमे मांगरोल तहसील की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के खातेदारी मे स्थित आराजी खसरा नं. 697 रकबा 0.72 है0 मे से मौके पर 0.56 है0 पर अमृत लाल का कब्जा काश्त मानकर तथा रकबा 0.16 है0 पर महेन्द्र पुत्र गोरधन गूजर साकिन पाडलिया का कब्जा काश्त मान लिया। इसके विपरित न्यायालय ने जर्ये मिश्ल नं. 30/2005 मे अपने आदेश दिनांक 14.06.2012 मे प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 697 रकबा 0.72 है0 मे से 0.56 है0 पर अमृत लाल गूजर निवासी पाडलिया की गैरखातेदारी दर्ज कर दी। तथा खसरा नं0 697 का शेष रकबा 0.16 है0 प्रार्थी के नाम यथावत रख दिया। जिसका अमल व नक्शा तरमीम एलोटमेंट शुदा साबिक खसरा नं. 559/3 एवं नक्शे से भिन्न स्थान पर कर दिया। तथा प्रार्थी रूघनाथ के पक्ष मे अमृत लाल गूजर के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 830 रकबा 0.40 है0 आराजी राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज कर दिये जाने के आदेश जारी कर दिये। जिसमे 16 एयर आराजी प्रार्थी के खाते मे कम दर्ज कर दी।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

राजस्थान मे स्थित आराजी

आराजी खसरा नं. 830 जो कि प्रार्थी के पूर्व एलोट शुदा नम्बर मुताबिक नक्शा 559/3 से है। जो वर्तमान मे मौके पर पूरा 0.72 है0 है।

प्रार्थी को दी गई आराजी खसरा नं. 830 रकबा 0.40 है0 के स्थान पर रकबा 0.72 है0 पूरा किया जाना आवश्यक है। शेष 0.16 है0 रकबा जिसे पृथक खसरा नं. 697 की सकल मे अन्य स्थान पर नक्शा तरमीम कर दिया गया उसे निरस्त फरमाया जाकर खसरा नं. 830 का सम्पूर्ण रकबा 0.72 है0 कायम किया जाना न्यायोचित है। दोराने सेटलमेंट भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव मे आकर गरिब प्रार्थी अनुसुचित जाति के नक्शे के दक्षिण मे स्थित 559/3 की आराजी को नक्शा तरमीम कर नये खसरा नं. 834 रकबा 0.71 है0 अंकित कर अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 के खाते अनुसार अंकन कर विवाद के हालात उत्पन्न कर दिये।

प्रार्थी के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा इस आश्य की प्रसारीत कि जावे की दौराने दावा प्रतिवादी कम 1 ता 5 प्रार्थी को उसके आवंटन शुदा भूमि ग्राम पाडलिया के साबिक खसरा नं. 559/3 रकबा 10 बीघा 14 बिश्वा भूमि के अनुसार हाल खसरा नं 697 रकबा 0.16 है0 भूमि खसरा नं. 830 रकबा 0.40 है0, खसरा नं. 831 रकबा 0.80 है0 खसरा नं. 832 रकबा 0.17 है0 के साबिक नक्शा व रकबा अनुसार दुरूस्ती न होने तक प्रार्थी को उसके आवंटन शुदा भूमि साबिक नक्शा एवं खसरा नं. 559/3 रकबा 10 बीघा 14 बिश्वा पर बलपूर्वक बेदखल नही करे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत नही करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 26.06.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार आर्य ने वकालत नामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में प्रस्तु समस्त तथ्य अस्वीकार है एवं प्रार्थना पत्र में अमृत लाल को पक्षकार नही बनाया गया है ऐसी स्थिति में अमृतलाल आवश्यक पक्षकार था पक्षकार नही बनाने से नोन ज्योइण्डिंग पार्टी ऑफ नेसेसरी पार्टी का नुक्स होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थी के पिता श्री शिवनारायण को दिनांक 18.12.1981 को खसरा नं0 558/2 की 10 बीघा भूमि आवंटन हुई थी जिस पर नियमानुसार पट्टा एवं दखल राजस्व अधिकारियों द्वारा अप्रार्थीगण के पिता को दिया गया था तब से अप्रार्थीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण कब्जा काश्त होकर मालिक स्वामी के रूप में काश्त कर रहे है। तथा वर्तमान खसरा नं0 834 रकबा 0.75 है0 खसरा नं0 835/1181 रकबा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.65 है0 भूमि खसरा नं0 558/2 का भाग है। जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है। और अप्रार्थीगण अपने राजस्व खातेदारी की भूमि खसरा नं0 834 रकबा 0.75 है0 एवं खसरा नं0 835/1181 रकबा 0.90 है0 पर निरन्तर काबिज काश्त होते हुए काश्त करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन, मनन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की दिनांक 02.08.2019 को बहस सुनी गयी । प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिनका उनके द्वारा कमशा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र

उप खण्ड अधिकारी
भांगरोल

उक्त पत्रावली में संलग्न में दस्तावेज व सुनी गयी बहस पर मनन करने के पश्चात जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट के पेराग्राफ 7 की प्रार्थना मे वर्णित खसरा नं. 559/3 रकबा 10 बीघा 14 बिश्वा भूमि के अनुसार खसरा नं. 697 रकबा 0.16 खसरा नं. 830 रकबा 0.40 है0, खसरा नं. 831 रकबा 0.80 है0, खसरा नं. 832 रकबा 0.17 है0 मे मौके एवं रेकार्ड की वर्तमान यथस्थिति बनाये रखी जावे तथा कोई भी किसी दुसरे के कब्जे मे मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक दखल अंदाजी ना तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को सरेइजलास में सुनाया गया।

(आशीष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल